(8) 113

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के.मिश्रा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2146-दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-03-12 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 64/निग./2008-09.

---

1. बृजनन्दन सिंह तनय जगन्नाथ सिंह
2. जवाहर सिंह तनय श्री तेजभान सिंह
3. मोतीलाल सिंह तनय श्री तेजभान सिंह

तीनों निवासी गण ग्राम पैकन गांव, तहसील मऊगंज जिला- रीवा म.प्र.

.....निगराकार

बनाम

हरिशरण सिंह तनय श्री सत्यभान सिंह
निवासी ग्राम पैकन गांव, तहसील मऊगंज जिला-रीवा म.प्र.

.....प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/01/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 28-03-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम पैकल गांव तहसील मऊगंज की कुल किता 23 रकबा 9.616 है भूमियों के पूर्व में आपसी सहमति के आधार पर हुये बटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्डो में खाता विभाजन की कार्यवाही हेतु आवेदन नायब तहसीलदार के रामपुर सर्किल तहसील मऊगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 24-9-2007 को बटवारा आदेश पारित किया। उक्त बटवारे आदेश के विरूद्ध गैर अनावेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के न्यायालय में समय-बाधित अपील अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 73/अ-27/08-09 आदेश दिनांक 20-10-08 को अपील स्वीकार करते हुये

प्रकरण में प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 15-1-2009 को निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/निग./2008-09 दर्ज कर दिनांक 28/03/12 को आदेश पारित कर निगरानी खारिज की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का निराकरण गुण-दोषों पर किया जा रहा है।

4/ निगरानी मे उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक की पैत्रक भूमियां हैं जिसपर हिस्सेदारों को समान हिस्से के हकदार थे। बटवारे हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा समान भाग से बटवारे नहीं किया गया। इसी कारण अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष का प्रश्नाधीन भूमियां का बटवारा/नामांतरण आदेश उनके राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से के मुताबित व उनके सहमति के आधार पर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुण-दोष के आधार पर करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर रीवा एवं अपर अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नायब तहसीलदार के आदेश को उचित नहीं माना है। इस न्यायालय में भी आवेदकगण ऐसा कोई आधार प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में परिवर्तन किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

11/01/2019.

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर